न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 75/2014/223 आर टी ए

1. गुलाम फातमा धर्मपत्नि स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. हसन पुत्र स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3. आसमीन धर्मपत्नि स्व0 श्री हुसैन पुत्र स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
4. शमीर पुत्र स्व0 श्री हुसैन पुत्र स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद ङ्घाबालिग्य जरिये कुदरतीवलिया माता मु0 आसमीन धर्मपत्नि स्व0 श्री हुसैन जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
5. अलाकखा उर्फ अलारखा पुत्र स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
6. नावां पुत्री स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
7. नूरसैन पुत्री स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

––अपीलांट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. हपड़शेर पुत्र कुरशेदा जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. अस्माईल पुत्र कुरशेदा जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

––रेस्पोडेंट/वादीगण

3. उस्मानगनी पुत्र श्री शाहमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राठीखेड़ा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
4. शरमा बेगम धर्मपत्नि स्व0 पुन्नुखां जाति मुसलमान, निवासी ढ़ालिया, तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. जमील खां पुत्र पुन्नू खां जाति मुसलमान, निवासी ढ़ालिया, तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. तमीजो बोना पुत्री पुन्नु खां जाति मुसलमान, निवासी ढ़ालिया, तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. रेशमा पुत्री कुरशैदा जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
8. गौरा पुत्री कुरशैदा जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
9. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा तलवाड़ाझील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

10. मु0 नवाबदीन उर्फ नवाबसैन पुत्री स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद मुसलमान, निवासी राठीखेड़ा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
11. मु0 मुन्नी पुत्री स्व0 हुसैन पुत्र स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राठीखेड़ा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
12. मु0 नजमा पुत्री स्व0 हुसैन पुत्र स्व0 श्री नुरू उर्फ नूरमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी राठीखेड़ा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
13. तहसीलदार ड्डाजस्क्य टिब्बी–तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0सं0 198/2010 अनवानी हपड़शेर बनाम उस्मानगनी

उपस्थित :–
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13

निर्णय दिनांकः–18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत कर प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 आरके के प.न. 217/285 कि.न. 9/0.089 है0, 19 से 23, प.न. 217/286 कि.न. 1, 2, 3 में .126 हैक्टेयर, 8 में .127 है व कि.न. 9 कुल 2.366 है0 के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट/प्रतिवादी ने वादपत्र को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत, विधि विरूद्व, अनुचित है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्त सारवान तथ्यों को नजरन्दाज कर एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि अनुसार विवेचन न कर रेस्पो0सं0 1व2 का वादपत्र डिक्री फरमाया है तथा अपीलांट का काउण्टर क्लेम निरस्त फरमाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या–1 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्य की भूल की है तथा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण नहीं किया है। अपीलांट ने यह कथन किया था कि नूरू उर्फ नूरमोहम्मद के अलावा शेष चारों भाईयों ने अपने हक व हिस्सा की भूमि विक्रय कर दी थी तथा शेष बची भूमि नुरू उर्फ नूरमोहम्मद की रही। पीडब्ल्यू–1 की जिरह से यह साबित हो चुका था कि कुल 50 बीघा भूमि स्व0 श्री बालीखां की थी तथा उसके पांच पुत्र थे तथा प्रत्येक पुत्र को 10–10 बीघा भूमि हिस्सा में आई। उक्त गवाह ने शाहमोहम्मद, फैज मोहम्मद व पुन्नुखां द्वारा अपने हक व हिस्सा की आराजी बेच दिये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। अपीलांट ने कुरशैद द्वारा विक्रय की गई भूमि के बैयनामों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की थी जिससे यह बखूबी सिद्व था कि शेष बची 20 बीघा भूमि में से कुरशैद ने ही अपने हक व हिस्सा की भूमि विक्रय की थी। अपीलांट का यह स्पष्ट कथन रहा है कि नुरू उर्फ नूरमोहम्मद कत्ल के मुकदमा में आजीवन कारावास से दण्डित था तथा उसकी बीकानेर के केन्द्रीय कारागृह में कारावास के दौरान

मृत्यु हो गई तथा अपीलांट सं0 1 विधवा हो गई व शेष अपीलांट नाबालिग थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में वह अपने पति के हक व हिस्सा की भूमि अपने देवरों व जेठ से काश्त करवाती थी। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 का उक्त भूमि पर अपीलांट की मार्फत कब्जा था। विधवा औरत अथवा नाबालिग की भूमि पर कानूनन व्यक्तिगत काश्त (Personally Cultivation) करना आवश्यक नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 25च के प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदत है।

4. विवाधक सं. 2 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व करने में विधि व तथ्य की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विवाधक का निर्णय करते समय यह अवधारणा पारित कर दी कि अपीलांट ने नुरू उर्फ नूरमोहम्मद के शेष चारों भाईयों द्वारा अपने–अपने हिस्सा की 10–10 बीघा भूमि बेच दिये जाने के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यह मत प्रतिपादित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0सं0 1व2 के वादपत्र के अभिवचनों एवं पीडब्ल्यू 1 की साक्ष्य को नजरन्दाज किया है। स्वयं रेस्पो0 सं0 1व2 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शाहमोहम्मद, फैजमोहम्मद व पुन्नुखां ने अपने अपने हिस्सा की 10–10 बीघा भूमि विक्रय कर दी है। रेस्पो0सं. 1 व 2 की उक्त स्वीकारोक्तिपूर्ण कथनों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा शाहमोहम्मद, फैजमोहम्मद व पुन्नु खां द्वारा विक्रय की गई भूमि के बैयनामों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि इसके विपरीत रेस्पो0 सं0 1व2 ने यह कथन किया था कि नुरू उर्फ नूरमोहम्मद ने अपने हक व हिस्सा की भूमि विक्रय कर दी। विवाधक संख्या 3 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व करने में भूल की है। सहायक जिलाधीश संगरिया द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से यह तथ्य बखूबी सिद्व था कि स्व0 नूरमोहम्मद के कारावास में रहने के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में उसके हक व हिस्सा की 10 बीघा भूमि अस्तित्व में होने का तथ्य साबित था। इस निर्णय व डिक्री के पारित होने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। तब ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि में उसका हक व हिस्सा कैसे समाप्त हो गया ? इस तथ्य के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री की विवेचना नहीं की है। रेस्पो0सं0 1व2 यह भी सिद्व नहीं कर सके कि उक्त डिक्री में वर्णित भूमि को नुरू उर्फ नूरमोहम्मद अथवा उसके वारिसान ने मुन्तकिल कर दी हो। विवाधक संख्या 4,5 अपीलांट के काउण्टर क्लेम से सम्बधित थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि में कथित डिक्री दिनांक 03.07.87 के आधार पर अपीलांट का हक व हिस्सा नहीं मानकर विधिक भूल की है। इस भूमि में स्व0 नुरू उर्फ नूरमोहम्मद के वारिसान अपीलांट का मुस्लिम कानून के मुताबिक जो हिस्साकस्सी बनती थी, उसी अनुसार काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जो हर दृष्टिकोण से डिक्री किये जाने योग्य था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि नुरू ने अपने हक हिस्सा की समस्त भूमि बैय कर दी थी। इसलिए वादग्रस्त आराजी मे नुरू का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा। तथाकथित डिक्री नूरू ने गलत तथ्यों के आधार एकतरफा तौर पर हासिल की थी। जिसकी वजह से डिक्री की इजराय की पालना आंशिक रूप से हुई। विवादित भूमि वादीगण/रेस्पो0 के हक व हिस्सा की थी जिस पर रेस्पो0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट का यह कथन कि विवादित भूमि हिस्सा ठेका पर काश्त करवाती थी कतई गलत है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही थे। इस प्रकार दावा रेस्पो0 का बखूबी साबित था जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया गया जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2005 पेज 44, आरबीजे 2005 पेज 705, आरआरटी 2010 पेज 198 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 13 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि स्व0 श्री बालीखां कुल 50 बीघा भूमि आंवटित हुई थी। स्व0 श्री बालीखां की मृत्युपरान्त उक्त 50 बीघा भूमि उसके पांच पुत्रों शाहमोहम्मद, कुरशैद मोहम्मद, फैजमोहम्मद व पुन्नुखां को बहिस्सा बराबर औद हुई तथा प्रत्येक वारिस को 10 बीघा भूमि विरास्त में प्राप्त हुई। अपीलांट का कथन है कि कालान्तर में प.न. 217/285 के अन्दर से नहर माईनर राठीखेड़ा निकली तथा यह भूमि दो भागों में विभाजित होकर नये चक 3 आरके व चक 2 आरके में पैमूद हुई। चक 3 आरके में 1.873 है0 पैमूद हुई व चक 2 आरके में 10.298 है0 पैमूद हुई। रेस्पो0 सं0 1 व 2 के पिता कुरशैद मोहम्मद को विरास्त में प्राप्त 10 बीघा भूमि उसके द्वारा विक्रय की जा चुकी थी। जिसके संबंध मे अपीलांट ने बैयनामा दिनांक 24.02.76, 22.10.77 प्रस्तुत किये। चूंकि अपीलांट गुलाम फातमा ने हपड़शेर द्वारा बैचान की गई भूमि के संबंध मे दस्तावेज प्रस्तुत किये है परन्तु रेस्पो0 हपड़शेर द्वारा तथाकथित डिक्री के द्वारा भूमि गुलाम फातमा आदि को मिल गई, के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। चूंकि यह तथ्य साबित है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता कुरशैद मोहम्मद द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि मे से 6½ बीघा भूमि का बैचान किया जा चुका था इसके विपरीत कुरशैद मोहम्मद के वारिसान रेस्पो0 कुल 2.366 भूमि के संबंध मे घोषणा प्राप्त नही कर सकते। पूर्व मे अपीलांट के पति नूरू को तथाकथित डिक्री के द्वारा भूमि प्राप्त हो गई हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाधक सं0 3 जो कि पूर्व मे पारित डिक्री के संबंध मे विरचित की गई थी, के संबंध मे विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण नही किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।
8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्षो का साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर विवाधक संख्या 3 पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कुरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ